रजिस्टर्ड ए0 डी0

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई–मेलः ro.ajmer@ibm.gov.in

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

सं0ः–राज/पाली –48/चूनापत्थर–06

दिनांक. 14/8/2017

प्रेषित मै निरमा लिमिटेड
निरमा हाउस, आश्रम रोड
अहमदाबाद 380009

विषयः राजस्थान राज्य के पाली जिले में स्थित आपकी सिनला चूनापत्थर खान क्षेत्रफल 49.71 हैक्टेयर **मे** खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानो का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 26.07.2017 को अधोहस्ताक्षरी एवं श्री चेतन प्रकाश, सहायक खनन भूविज्ञानी के द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
26 (2)	पट्टाधारी/ऐजेन्ट/प्रबन्धक या खनि अभियन्ता को प्रत्येक वर्ष की एक जुलाई तक यह जानकारी देनी है कि खान में प्रोग्रेसीव खनन बन्द योजना के प्रस्तावों के अनुसार रक्षित एंव पुनःस्थापित कार्य (Protective & rehabilitative works) किस प्रकार/अनुपात में किये जा रहे है तथा यदि कोई विचलन आ रहा हो, तो उसका कारण क्या है। परन्तु आपके द्वारा नियम 26(2) की अनुपालना के लिये 2016–17 की वार्षिक रिर्पोट प्रस्तुत नहीं की गई है।
27	आपकी उपरोक्त खान के लिये नियमानुसार वैध वितिय आश्वासन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।
48	प्रत्येक खनन पटट्ा धारी को खनन पटट्ा क्षेत्र में किये गये सभी बोर होल का रिकार्ड फार्म “J” में रखना हैं लेकिन निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि सम्बंधित रिकार्ड फार्म “J” में नही रखा गया हैं

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(दाता राम गुर्जर)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
2) खनि अभियन्ता, ,खान एवं भूविज्ञान विभाग, सोजत सीटी को सूचनार्थ प्रेषित।

(दाता राम गुर्जर)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो